



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 29 सितम्बर, 2010 ई0
आश्विन 07, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 332/XXXVI(3)/2010/55(1)/2010

देहरादून, 29 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010” पर दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2010
(अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2010)

31 मार्च, 2011 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के इसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित-

1-यह अधिनियम उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2010 कहलायेगा।

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2010-
2011 के लिए
रु 18247999000
का दिया जाना

विनियोग

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु 18247999000 (रुपये एक हजार आठ सौ चौबीस करोड़ उन्नासी लाख नित्यानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	10000	0	10000
02	राज्यपाल	राजस्व	0	1300	1300
		पूँजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	323365	3500	326865
		पूँजी	20000	0	20000
05	निर्वाचन	राजस्व	10000	0	10000
		पूँजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	418452	2568	421020
		पूँजी	451594	0	451594
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	546289	304700	850989
		पूँजी	117781	0	117781
08	आबकारी	राजस्व	2430	0	2430
		पूँजी	0	0	0
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	16883	16883
		पूँजी	0	53133	53133
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	831527	0	831527
		पूँजी	0	0	0
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	3741469	0	3741469
		पूँजी	1119702	0	1119702
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	280506	0	280506
		पूँजी	187366	0	187366
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	996699	0	996699
		पूँजी	0	0	0
14	सूचना	राजस्व	202783	0	202783
		पूँजी	0	0	0
15	कल्याण योजनायें	राजस्व	894853	0	894853
		पूँजी	112739	0	112739
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	198507	0	198507
		पूँजी	72268	0	72268
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	608480	0	608480
		पूँजी	114500	0	114500

1	2	3			
18	सहकारिता	राजस्व	12237	0	12237
		पूँजी	0	0	0
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	294805	0	294805
		पूँजी	74466	0	74466
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	90655	0	90655
		पूँजी	55000	0	55000
21	ऊर्जा	राजस्व	6000	0	6000
		पूँजी	106895	0	106895
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	238360	0	238360
		पूँजी	3038500	5000	3043500
23	उद्योग	राजस्व	181987	0	181987
		पूँजी	18723	0	18723
24	परिवहन	राजस्व	464	0	464
		पूँजी	428276	0	428276
25	खाद्य	राजस्व	21400	0	21400
		पूँजी	14500	0	14500
26	पर्यटन	राजस्व	62000	0	62000
		पूँजी	200000	0	200000
27	वन	राजस्व	239492	0	239492
		पूँजी	60000	0	60000
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	157785	0	157785
		पूँजी	15930	0	15930
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	61852	0	61852
		पूँजी	0	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	411911	0	411911
		पूँजी	496476	0	496476
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	154589	0	154589
		पूँजी	157302	0	157302
योग		राजस्व	10988897	328951	11317848
		पूँजी	6872018	58133	6930151
महायोग			17860915	387084	18247999

आज्ञा से,

राम सिंह,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "The Uttarakhand Appropriations (Supplementary 2010-2011) Bill, 2010" (Adhiniyam Sankhya 24 of 2010).

No. 332/XXXVI(3)/2010/55(1)/2010

Dated Dehradun, September 29, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on September 28, 2010.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION (FIRST SUPPLEMENTARY 2010-2011) ACT, 2010

(Act No. 24 of 2010)

To authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty first day of March, 2011.

AN

ACT

It is HEREBY enacted in the Sixty-First year of the Republic of India by the
Uttarakhand State Legislative Assembly--

Short Title

1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation (First Supplementary 2010-2011) Act, 2010.

Issue of Rs.
18247999000
out of the
Consolidated
Fund of
Uttarakhand
for
the year
2010-2011

2. From and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule, amounting in the aggregate to the sums of Rs. 18247999000 (Rs. One Thousand Eight Hundred Twenty Four Crore Seventy Nine Lakh Ninety Nine Thousand only) towards defraying the several charges, which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2011 in respect of the services and purposes specified in Column-2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums, authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act, shall be appropriated for the services and purposes, expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2011.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Grant No.	Services and Purpose	Sums not exceeding (In thousands of Rupees)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3		
01	Legislature	Revenue 0	0	0
		Capital 10000	0	10000
02	Governor	Revenue 0	1300	1300
		Capital 0	0	0
04	Judicial Administration	Revenue 323365	3500	326865
		Capital 20000	0	20000
05	Election	Revenue 10000	0	10000
		Capital 0	0	0
06	Revenue & General Administration	Revenue 418452	2568	421020
		Capital 451594	0	451594
07	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue 546289	304700	850989
		Capital 117781	0	117781
08	Excise	Revenue 2430	0	2430
		Capital 0	0	0
09	Public Service Commission	Revenue 0	16883	16883
		Capital 0	53133	53133
10	Police & Jail	Revenue 831527	0	831527
		Capital 0	0	0
11	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue 3741469	0	3741469
		Capital 1119702	0	1119702
12	Medical, Health & Family Welfare	Revenue 280506	0	280506
		Capital 187366	0	187366
13	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue 996699	0	996699
		Capital 0	0	0
14	Information	Revenue 202783	0	202783
		Capital 0	0	0
15	Welfare	Revenue 894853	0	894853
		Capital 112739	0	112739

1	2	3		
16	Labour & Employment	Revenue	198507	0
		Capital	72268	0
17	Agriculture Works & Research	Revenue	608480	0
		Capital	114500	0
18	Co-operative	Revenue	12237	0
		Capital	0	0
19	Rural Development	Revenue	294805	0
		Capital	74466	0
20	Irrigation & Flood	Revenue	90655	0
		Capital	55000	0
21	Energy	Revenue	6000	0
		Capital	106895	0
22	Public Work	Revenue	238360	0
		Capital	3038500	5000
23	Industries	Revenue	181987	0
		Capital	18723	0
24	Transport	Revenue	464	0
		Capital	428276	0
25	Food	Revenue	21400	0
		Capital	14500	0
26	Tourism	Revenue	62000	0
		Capital	200000	0
27	Forest	Revenue	239492	0
		Capital	60000	0
28	Animal Husbandary	Revenue	157785	0
		Capital	15930	0
29	Horticulture Development	Revenue	61852	0
		Capital	0	0
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue	411911	0
		Capital	496476	0
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue	154589	0
		Capital	157302	0
Total		Revenue	10988897	328951
		Capital	6872018	58133
Grand Total			17860915	387084
				11317848
				6930151
				18247999

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.